फर्द अहकाम
कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री गंगाराम **विपक्षी : राजस्थान राज्य**

किस्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम **पत्रावली संख्या : 158/21**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 21.12.2021 पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प वीरधोलिया में प्रार्थना पत्र धारा 136 का पेश करने पर दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। प्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर प्रकरण को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा अपने जवाब अनुसार नाम संशोधन किया जाने पर सहमति व्यक्त की। उभय पक्षकारान को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम मेघा, गेगा पिता तुलसा गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा जवाब प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से पुनः नाम सही कराने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड की प्रति, जनआधार कार्ड की प्रति, मतदाता पहचान पत्र की प्रति, राशन कार्ड की प्रति, स्टाम्प पेपर पर शपथपत्र, ग्राम पंचायत खरताणा का शपथ पत्र प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में मेगा, गेगा पिता तुलसा दर्ज हैं, जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपने समस्त दस्तावेजात में नाम गंगाराम पिता तुलसा अंकित है। प्रकरण में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट में भी तहसीलदार द्वारा मेगा, गेगा एवं गंगाराम एक ही व्यक्ति होना बताया हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: आदेश :–** परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जात है कि मौजा खरताणा पटवार हल्का खरताणा की आराजी नम्बर 1575, 1578 किता 2 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, आराजी नम्बर 1069 से 1077, 1091, 1095, 1193 किता 12 रकबा 16 बीघा 18 बिस्वा, आराजी नम्बर 1079, 1130 किता 2 रकबा 4 बीघा एवं आराजी नम्बर 1579 रकबा 7 बीघा आ.चा. भूमि में खातेदार मेगा, गेगा पिता तुलछा के बजाय मेगा, गेगा उर्फ गंगाराम पिता तुलसा संशोधन किया जावे। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय सुनाया गया। (मयंक मनीष I.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO)मावली	

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.20 11:50:02 IST
Reason: SelfAttested